Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 20–2021] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 18, 2021 (VAISAKHA 28, 1943 SAKA)

PART – I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 30 अप्रैल, 2021

संख्या 12/184–2011–Pura/1284–89.— चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों तथा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों का पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) के अधीन संरक्षण अपेक्षित है;

इसलिए, अब, पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20), की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 1, 2, 3, 4, 5, तथा 6 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव करते हैं।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो मास की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् सरकार, ऐसे आक्षेपों या सुझावों, यदि कोई हो, सहित, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा, प्रस्ताव के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विर्निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जायें, पर विचार करेगी:–

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेषों का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील तथा जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किये जाने वाला क्षेत्र	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
किला जफरगढ़	किला जफरगढ़	किला जफरगढ़	जुलाना, जीन्द	1531	कनाल–मरला 2 –16	मकबुजा जंगलात	यह किला, तहसील जुलाना, जिला जींद में, जींद–रोहतक रोड (NH-352) के पास किला जफरगढ़ गांव में अवस्थित हैं। जींद रियासत के शासकों ने इस छोटे किले का निर्माण किया था। इसका उपयोग मुख्यतः शासकों द्वारा हथियारों के भण्डारण, नागरिक आपूर्ति और घोड़ों के प्रशिक्षण के लिए किया जाता था। हालांकि यह इमारत एक चौकी के रूप में बनाई गई थी, लेकिन स्थानीय लोग इसे किला कहते हैं। गढ़ी के आकार की इमारत को अब बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। इसकी भीतरी कोठरियाँ अभी भी बच रही हैं। किले की इमारत पहले से ही अपने मुख्यद्वार और टॉवरों स्तभों को खो चुकी है, जबकि तीन तरफ की दीवारें मरम्मत योग्य क्षति के साथ बच गई है। यह (लाखौरी) छोटी इंटों से बना है और अभी उस समय के राजा द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला प्रसिद्ध आंगन (बारहदरी) है।

डा० अशोक खेमका,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT

Notification

The 30th April, 2021

No. 12/184-2011-Pura/1284-89.— Whereas the Governor of Haryana is of the opinion that archaeological sites and remains ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below requires protection under the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964), the Governor of Haryana hereby proposes to declare the ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below, to be protected monuments and the archaeological sites and remains specified in columns 1, 2, 3, 4, 5, and 6 of said the Schedule to be protected area.

Notice is hereby given that the proposal shall be taken into consideration by the Government on or after the expiry of a period of two months from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Principal Secretary to Government, Haryana, Archaeology and Museums Department, Chandigarh from any person with respect to the proposal before the expiry of the period so specified:-

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/city	Name of tehsil and district.	Revenue Khasra / Kila number under protection.	Area to be protected	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Qila Zafargarh	Qila Zafargarh	Qila Zafargarh	Julana, Jind	1531	K - M 2 - 16	Forest Department Haryana	The fort is located in village Qila Zafargarh, near Jind-Rohtak road (NH-352) at Tehsil Julana, district Jind. The rulers of Jind Princely state built this small fortress. It was mainly used by the rulers for the storage of arms, civil supplies, and training of the horses. Though the building was built as an outpost, the local people call it Qila. The citadel-shaped building is now absolutely abandoned. Its inner chambers are still surviving. The fort building has already lost its main gate and tower posts while walls on three sides have survived with repairable damages. It is made of small bricks (Lakhori) and still has the famous courtyard (baradari) used by the king at that time.

DR. ASHOK KHEMKA,
Principal Secretary to Government Haryana,
Archaeology and Museums Department.

9161—C.S.—H.G.P., Pkl.